

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 61/16 (RCMS No.2016/00003) ( 90ए भू राजस्व अधिनियम यूआईटी पट्टा)

1. चन्द्रपाल सिंह पुत्र केशव सिंह
2. भगत सिंह पुत्र केशव सिंह
3. करतार सिंह पुत्र गोपाल
4. हेमेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह
5. नरेन्द्र सिंह पुत्र मुन्शी सिंह
6. सत्येन्द्र पुत्र करतार सिंह

जाति जाट निवासी रोजबिला कालोनी सारस  
चौराहा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्तान

### बनाम

1. श्रीमती शोभा शर्मा पत्नि मदन लाल
2. कु० चेतना शर्मा पुत्री मदन लाल
3. सत्यदीप शर्मा पुत्र मदन लाल
4. नगर सुधार न्यास भरतपुर जरिये सचिव
5. राजस्थान सरकार द्वारा कलक्टर भरतपुर
6. नगर निगम भरतपुर द्वारा आयुक्त नगर निगम भरतपुर
7. एन.एच.-11 द्वारा परियोजना अधिकारी पी.आई.यू. दौसा

जाति ब्राहमण निवासी 233 प्रताप कालोनी  
कुम्हेर गेट, भरतपुर तहसील व जिला  
भरतपुर

.....रैस्प०

अपील विरुद्ध आदेश सचिव नगर विकास न्यास  
भरतपुर पट्टा विलेख संख्या 214 दिनांक 28.07.  
2016 वावत् ख० नं० 1581 व 1583 वॉके कस्वा  
भरतपुर चक नं० 1

उपस्थिति:-

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्त
2. श्री प्रमोद उपमन वकील रैस्प० सं० 1 व 2
3. श्री डालचन्द लाटा वकील रैस्प० सं० 6
4. श्री राधेश्याम जादौन वकील रैस्प० सं० 7

निर्णय दिनांक:-30.10.2017

यह अपील नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जारी किये गये पट्टा संख्या 214 दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 1581 व 1583 वॉके कस्वा भरतपुर चक नं0 1 काक्षेत्रफल 738.10 वर्गमीटर सारस चौराहे के पास भरतपुर का 99 वर्ष के लिये व्यवसायिक पट्टा दिनांक 28.07.2016 को नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जारी किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्तान ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने लिखित बहस पेश की है तथा मौखिक बहस भी की है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग व उभभोग की भूमि है। विवादित आराजी ख0 नं0 1580 रकवा 15 एयर, 1581 रकवा 6 एयर, 1582 रकवा 01 एयर व 1583 रकवा 9 एयर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। ख0 नं0 1580 रकवा 15 एयर नाले की व अन्य ख0 नं0 1581 रकवा 6 एयर, व 1582 रकवा 01 एयर व 1583 रकवा 09 एयर सिवायचक (पार्क) की भूमि है। साविक ख0 नं0 1207 से हाल ख0 नं0 1580 रकवा 15 एयर बना है तथा साविक ख0 नं0 1208 रकवा 1 बीघा से हाल ख0 नं0 1581, 1582, 1583 बने हैं। नगर विकास न्यास ने सार्वजनिक उपयोग भी भूमि का पट्टा जारी किया है। आरम्भ में उक्त आराजी गत ख0 नं0 1207 रकवा 15 विस्वा मकबूजा इंजीनियरिंग गैर मुमकिन था तथा आराजी ख0 नं0 1208 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा मकबूजा सरकार था। जैसाकि सं0 2012 व 2016 की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से जाहिर है। इसलिये यह पट्टा गलत है। सं0 2018 के उपरान्त बिनाकिसी आदेश व अधिकार के राजस्व अभिलेखमें विवादित आराजी साविक ख0 नं0 1208 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा एक बीघा रकवा पर श्री बृजेन्द्र सिंह महाराज भरतपुर को गैर खातेदार व किस्म गैर मुमकिन पैट्रोल पम्प तथा 1 बीघा रकवा को गैर मुमकिन नलची, महकमा इंजीनियर अंकित कर दिया, जो कतई गलत है। ये गलत इन्द्राज भू प्रबन्ध की कार्यवाही शुरू होने तक यानी सं0 2034 तक जमाबन्दी खसरा गिरदावरी में अंकित होते रहे हैं। इस प्रकार विवादित भूखण्ड पर रैस्पो0 1 लगायत 3 को कोई अधिकार खातेदारी या गैर खातेदारी प्राप्त नहीं रहे हैं। भू प्रबन्ध विभाग ने रैस्पो0 1 लगायत 3 के पिता मदन लाल को वहैसियत मालिक दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबन्ध विभाग को उक्त इन्द्राज करने के कोई अधिकार नहीं थे। राजस्व अभिलेख में स्व0 मदन लाल के नाम की खातेदारी की प्रविष्टियाँ आरम्भ से ही शून्य हैं। श्री मदन लाल के फौत होने पर नामा0 सं0 1250 दिनांक 11.05.2015 से रैस्पो0 1 लगायत 3 के नाम विरासत स्वीकृत कर खातेदारी की प्रविष्टियाँ रैस्पो0 सं0 1 लगायत 3 के नाम कर दी। इसलिये उक्त नामा0 भी आरम्भ से शून्य है। उनका तर्क है कि विक्रय पत्र दिनांक 13.09.1982 महाराजा स्व0 बृजेन्द्र सिंह द्वारा गैर खातेदार द्वारा किये गये वयनामा बहक स्व0 मदन लाल को निरस्त कराने हेतु अपीलान्त ने एक दीवानी दावा सं0 206/15 उनवानी चन्द्रपाल आदि बनाम शोभा आदि न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष पेश किया है जो विचाराधीन है। राजस्व अभिलेख में हुए खातेदार, गैर खातेदार को निरस्त कराने हेतु अपीलान्त की ओर से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भी आवेदन उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय दायर किया हुआ है। जिसमें नगर सुधार न्यास भरतपुर पक्षकार हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत है। उनका तर्क है कि विवादित भूखण्डों को सार्वजनिक पार्क की भूमि घोषित करने हेतु एक सिविल वाद भी रैस्पो0 के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर में दायर किया हुआ है, जो अभी विचाराधीन है। दिनांक 06.09.2016 की भू अभिलेखनिरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी को स्पष्ट किया है और आराजी की वास्तविक स्थिति बतायी है जिसमें यह आराजी सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि साबित हो रही है। विवादित भू खण्ड पर रैस्पो0 को कोई खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनके नाम खातेदारी इन्द्राज एबिनिसियो वोइड़ हैं। इसलिये नगर विकास न्यास का पट्टा जारी करने का आदेश गलत है व

शून्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेशदिनांक 28.07.2016 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैसपो 1 लगायत 2 का तर्क है कि अपीलान्ट के पास साबिक ख0 नं0 1581 व 1583 वॉके कस्वा भरतपुर चक नं0 1 की बाबत ऐसा कोई दस्तावेज याप्रमाण नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि यह भू खण्ड सार्वजनिक पार्क है। यह आराजी (भू खण्ड) नेशनल हाईवे संख्या 11 के चिपटेमा है जिसमें वतरफ पश्चिम दिशा में सरकारी नाला है और नाले के बाद पश्चिम दिशा में अपीलान्ट के पुख्ता मकानात हैं। अपीलान्ट की यह मंशा है कि सार्वजनिक नाले पर व रैसपो 1 की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करलें तो उनके मकानात नेशनल हाईवे पर आ जावेंगे और उक्त भूमि नेशनल हाईवे संख्या 11 परहोने से अत्यधिक कीमती है। उक्त भूमि को अपीलान्ट हड़पना चाहते हैं। उनका तर्क है कि उक्त आराजी रैसपो 1 लगायत 3 के पिता मदन लाल ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 16.10.82 श्री बृजेन्द्र सिंह महाराज भरतपुर के क़य कर कब्जा प्राप्त किया था। श्री मदन लाल के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके वारिसान रैसपो 1 सं0 1 लगायत 3 का कब्जा आज भी मौजूद है। उनकी तरफ से अथवा भरतपुर महाराज साहब के संबंधी व रिश्तेदार की तरफ से कोई भी प्रकरण आज तक मदन लाल व उनके वारिसान के विरुद्ध किसी न्यायालय में पेश नहीं किया है और न ही वयनामा को शून्य कराने हेतु कोई प्रकरण किसी न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलान्ट का आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही अपीलान्ट को कोई विवाद करने का अधिकार है।

नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या नक्शा इस प्रकार कानही बनाया कि उपरोक्त आराजी सार्वजनिक भूखण्ड या पार्क हो। यदि राजस्व रिकार्ड में या मौके पर भूमि पार्क की भूमि होती तो नगर सुधार न्यास द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जाता। इस प्रकार का कोई पार्क चक नं0 1 भरतपुर में नहीं है। विवादित भूखण्ड रैसपो 1 लगायत 3के कब्जे व आधिपत्य व मिलकीयती की जायदाद है। उक्त आराजी के मदन लाल खातेदार थे। उक्त आराजी को रैसपो 1 लगायत 3 ने विरासत में प्राप्त किया है। उक्त आराजी में से नेशनल हाईवे सं0 11 में कुछ भाग अवाप्त किया है। जिसकी आवाप्ती की कार्यवाही बाबत मदन लाल पर नोटिस आये। मदन लाल ने आपत्ती पेश की उक्त आराजी को कृषि भूमि मानते हुए 32617.93 रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया था लेकिन आराजी कन्वर्ट थी व आराजी का उपयोग व्यवसायिक रूप से हो रहा था। इस आधार पर रैसपो 1 लगायत 3 के पति/पिता मदन लाल ने आपत्ती की थी जो मुआवजा कृषि भूमि मानकर दिया गया है उसके स्थान पर व्यवसायिक भूमि मानकर मुआवजा दिया जावे। यह समस्त कार्यवाही आराजी के विधिक कब्जेदार व आधिपत्यधारी द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट का कोई लेना देना नहीं है।

उनका तर्क है कि इस आराजी पर नगर सुधार न्यास भरतपुर द्वारा दिनांक 25.10.96 व 23.03.98 को भवन निर्माण स्वीकृति भी जारी की गई है। इससे स्पष्ट है कि आराजी रैसपो 1 के कब्जे व आधिपत्य व मिलकीयती की है। रैसपो 1 के पति/पिता के जीवन काल में अपीलान्ट द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई विवाद नहीं किया। रैसपो 1 के पति/पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट के मन में वदयान्ति आ गई है। जबरन अतिक्रमण कर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। अपीलान्ट ने ख0 नं0 1580 गैर मुमकिन नालापर मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट ने गैर मुमकिन नाला का पट्टा भी अपने हक में जारी करा लिया है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट ने पूर्व में सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष दो वादपत्र उनवानी चन्द्रपाल बनाम शोभा मु0 नं0 दीवानी 197/15 व 206/15 पेश किये हैं। जिनमें स्थगन प्रार्थना आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी पेश किये जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2015 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये। अपीलान्ट को कोई स्थगन आदेशप्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य मुकदमा भी महज स्थगन

आदेश के लिये ही अपीलान्त द्वारा पेश किये गये है कि कहीं से किसी भी न्यायालय से स्थगनआदेश प्राप्त होजाये लेकिन किसी भी न्यायालय से कोई भी स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

उनका तर्क है कि मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रैस्पो0 1 लगायत 3 के पति/पिता के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश भरतपुर में दो वाद मु0 नं0 3/96 व 32/96 उनवानी मै0 इण्डियन ऑयल बनाम मदन लाल पेश किये जिनका निर्णय दिनांक 11.10.99 को किया गया,जो अन्तिम है। माननीय न्यायालयने कब्जा व आधिपत्य मदनलाल का माना है। कार्यालय कलक्टर भरतपुर के पत्रांक राजस्व/12/213/77/1390 दिनांक 15.04.85 में मदन लाल का आधिपत्य व स्वामित्व माना है। पूर्व में दिनांक 30.09.65 को आराजी का कृषि से अकृषि में किस्म परिवर्तन किया जा चुकाहै। नेशनल हाईवे सं0 11 में आवाप्त भूमि के नोटिस मदन लाल को जारी हुऐ जो कर्यवाही आज भी लम्बित है। नगर विकास न्यास द्वारा अपीलाधीन पट्टा नियमों के दायरे में रहकर पारित किया है। अपीलान्त का कोई हित आराजी में निहित नहीं है। विवादित आराजी आबादी में आ चुकी है और आबादी में आने के बाद खातेदारी होना या गैर खातेदारी होना यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। क्योंकि आबादी में आने के बाद नगर विकास न्यास खातेदार को व गैर खातेदार को एक समान अनुतोष या मुआवजा प्रदान करती है। नगर विकास न्यास द्वारा नियमों के अनुसार पट्टा जारी हुआ है। अपीलान्त की अपील सारहीन है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 7 का तर्क है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 आगरा-भरतपुर खण्ड के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत समस्त प्राप्तआक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी। उसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 12.10.2006 को जारी किया गयाहै। जिसकाप्रकाशन दो समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 08.11.2006 को किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें भूमि ख0 नं0 1581 की 6 एयर ख0 नं0 1582 की 01 एयर ख0 नं0 1583 की 01 एयर वॉके भरतपुर चक नं0 1 जिला भरतपुर सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी(4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 3डी (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय अथवा ऑथोरिटी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः अपीलान्त रैस्पो0 सं0 7 के विरुद्ध किसी प्रकारका अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जो अवाप्ति की कार्यवाही की गई है एवं जो अवार्ड पारित किया है वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारितकिया गयाहै। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

रैस्पो0 संख्या 6 का कथन है कि विवादित भूखण्ड रैस्पो0 सं0 1 लगायत 3 की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी को नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार व्यावसायिक पट्टा जारी किया गया है। नगर विकास न्यास का आदेश विधि सम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सबसे पहला बिन्दु यह है कि अपीलान्त को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। क्योंकि अपीलान्त उक्त आराजी से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। विवादित आराजी रैस्पो0 सं0 1 लगायत 3 की खातेदारी की आराजी है। जिसमें अपीलान्त का कोई हित निहित नहीं है। जहाँ तक अपीलान्त का यह कथन कि उक्त आराजी पार्क की है, उचित नहीं है। क्योंकि अपीलान्त ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि विवादित आराजी पार्क की है या सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की आराजी है। बिना किसी साक्ष्य के एक खातेदार की आराजी को पार्क की कहना या सार्वजनिक उपयोग उपभोग की कहना उचित नहीं है।

विवादित आराजी मदन लाल शर्मा ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा भरतपुर महाराज श्री बृजेन्द्र सिंह से कय कर कब्जा प्राप्त किया था। भरतपुर महाराज या उनके वारिसान ने उक्त बिकय पत्र पर कभी कोई आपत्ती जाहिर नही की है और न ही उक्त वयनामा को मंसूख कराने के लिये उन्होंने कोई वाद दायर किया था। अपीलान्ट का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार होना प्रकट नही होता है। ऐसी स्थिति में नगर सुधार न्यास भरतपुर ने दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकार्ड के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का बहस में तर्क था कि विवादित भूखण्डों को सार्वजनिक पार्क की भूमि घोषित करने हेतु एक सिविल वाद भी रैस्पो० के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश भरतपुर में दायर हुआ है, जो अभी विचाराधीन है। अपीलान्ट के तर्कों में ही विरोधाभाष है। अपीलान्ट एक तरफ तो यह कथन करके आ रहे हैं कि विवादित आराजी पार्क की आराजी है और दूसरी तरफ पार्क घोषित कराने के लिये सिविल न्यायालय में दावा दायर करना बता रहे हैं। अपीलान्ट के दोनों तर्क विरोधाभाषी है। यदि पार्क है तो पार्क घोषित कराने के लिये सिविल न्यायालय में दावे की कहीं आवश्यकता है। हम अपीलान्ट के तर्क से सहमत नही हैं।

पत्रावली में उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षक कस्वा भरतपुर की रिपोर्ट फोटोप्रति दिनांक 06.09.16 का अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि नामा० सं० 19 दिनांक 25.01.2001 माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व.ख. संख्या 2 भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.10.99 की पालना में एवं वयनामा के आधार पर मदनलाल खातेदार दर्ज हुआ है। नामा० सं० 1250 दिनांक 11.05.15 से वसीयत द्वारा श्रीमती शोभा शर्मा पत्नि मदनलाल, कु० चेतना पुत्री मदनलाल, सन्दीप पुत्र मदनलाल का नाम दर्ज किया गया। नामा० सं० 1265 दिनांक 24.06.16 के द्वारा साबिक ख० नं० 1581 रकवा 6 एयर 1583 रकवा 9 एयर में से क्रमशः 2 एयर व 6 एयर कुल 8 एयर नगर विकास न्यास भरतपुर के आ.क./नियमन/2016/9414 दिनांक 21.06.16 की पालना में नगर विकास न्यास भरतपुर के नाम गै.मु. आबादी में दर्ज हो गया तथा ख० नं० 1581 रकवा 4 एयर, 1582 रकवा 01, 1583 रकवा 3 एयर कुल 8 एयर एन.एच-11 में अवाप्त कर लिया गया। इससे स्पष्ट है कि रैस्पो० विवादित आराजी के खातेदार हैं जिसमें से 8 एयर भूमि का व्यवसायिक पट्टा नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा जारी किया गया है तथा 8 एयर रकवा एन.एच. 11 में अवाप्त हुआ है। पूर्व में उक्त आराजी किस की थी या किस कया थी इस संबंध में नगर विकास न्यास को नही देखना है। साबिक ख० नं० 1581 रकवा 06, 1583 रकवा 09 में से 2 एयर व 6 एयर कुल 8 एयर रकवा रैस्पो० के आधिपत्य, कब्जे व खातेदारी का था। जिस पर नगर विकास न्यास द्वारा व्यावसायिक पट्टा रैस्पो० को जारी किया है।

जहाँ तक विवादित आराजी के गैर मुमकिन होना, नलची होना, गैर खातेदार होना, पेट्रोल पम्प स्थापित होना इन सभी तथ्यों के बारे में इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष अपीलान्ट को नही दिया जा सकता है। विवादित भूमि आबादी/व्यावसायिक के रूप में दर्ज रिकार्ड हो चुकी है। इस संबंध में माननीय सिविल न्यायालय से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अपीलान्ट ने माननीय सिविल न्यायालय में कई दावे दायर कर भी रखे हैं, जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के कथन उचित नही हैं।

पूर्व में विवादित आराजी ख० नं० 1208 रकवा 1 बीघा वांके कस्वा भरतपुर चक नं० 1 तहसील भरतपुर भू०पू० महाराज सवाई श्री कर्नल बृजेन्द्र सिंह को सं० 2020 दिनांक 09.09.64 को आवंटन हुआ व उन्हें दखल एवं कब्जा भी दिया गया। तत्पश्चात सन् 1965 में उक्त रकवा में रूपान्तरण एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल बहक भू०पू० महाराजा साहब को आदेश क्रमांक 5530 दिनांक 30.09.65 मंजूर हुआ जिसका हवाला सं० 2023 की खसरा गिरदावरी के कालम सं० 41 में दर्ज नोट से जाहिर है। अतः उक्त रकवा की किसम निर्माण हेतु तब्दील हो चुकी है। तदानुसार

मिल्कीयती संबंधी कानूनी हकूक भू0पू0 महाराजा श्री बृजेन्द्र सिंह को प्राप्त थे जिन्हें रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 16.10.82 के अनुसार श्री मदनलाल शर्मा आजाद एडवोकेट ने खरीद लिया। आईओसी के हक में एक आदेश दिनांक 02.01.67 को तत्कालीन जिलाधीश भरतपुर द्वारा लिया गया परन्तु उक्त मूल आदेश में कहीं भी किसी भी खसरा नम्बर व हदूदअरवा आदि का हवाला नहीं है और न ही उक्त आदेश के अनुसार कोई लीज डीड आज दिन तक सम्पादित हुई है। इसके अलावा आईओसी द्वारा रैस्प0 सं. 1 लगायत 3 के पति/पिता के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष दो वाद मु0 नं0 3/96 व 32/96 उनवानी मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम मदन लाल शर्मा पेश किये गये थे जिनका निर्णय दिनांक 11.10.99 को किया गया था जिसमें कब्जा व आधिपत्य मदन लाल शर्मा का माना है और कब्जे के आधार पर एवं खातेदारी के आधार पर रैस्प0 को दिनांक 25.10.96 व 23.03.98 को भवन निर्माण की स्वीकृति भी जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कहना कि विवादित आराजी पार्क की है या सार्वजनिक उपयोग की है, उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होने एवं अपीलान्ट का विवादित आराजी के संबंध में कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से खारिज की जाती है तथा नगर विकास न्यास भरतपुर का आदेश पट्टा सं0 214 दिनांक 28.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official